UPLK010201722019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
विशेष परीक्षण सं0 410 / 2019

सरकार **बनाम** आशीष यादव आदि

अ0सं0 694 / 2018
धारा–147,148,323,504,506 भा0द0सं0 तथा
थाना–विभूतिखण्ड, लखनऊ।

25–09–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त मान सिंह गौतम जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं। अभियुक्त आशीष यादव उर्फ मार्डन गांधी व सतीश यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 12.08.2025 को प्रकरण की कार्यवाही अबेट की जा चुकी है।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 147, 148, 323, 504, 506 भा0द0सं0 के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 05.11.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010201722019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 410 / 2019

सरकार **बनाम** आशीष यादव आदि

अ0सं0 694 / 2018

धारा–147,148,323,504,506 भा0द0सं0 तथा

थाना–विभूतिखण्ड, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त मान सिंह गौतम को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 25–10–2018 को समय 21:30 बजे थाना विभूतिखण्ड जिला लखनऊ सीमान्तर्गत सहारा हासिप्टल के गेट नं0 3 विराजखण्ड, स्थित आप अभियुक्त मान सिंह गौतम द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा सौरभ गौतम को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित, इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त मान सिंह गौतम द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा सौरभ गौतम को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अ अभियुक्त मान सिंह गौतम द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा सौरभ गौतम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6027
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

दिनांकः 13–10–2025

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6027
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

दिनांकः 13–10–2025